रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239389
CG-DL-E-06102022-239389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944
No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति करने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम अर्थात- "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम" अधिसूचित की थी जिसे तत्पश्चात दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021 और 05.04.2022 की अधिसूचना सं. क्रमश: का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ. 4104 (अ), का.आ 1262 (अ), का.आ. 1523 (अ), का.आ. 3886 (अ), का.आ. 2026 (अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I द्वारा संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना का पैरा 5(ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"आवेदक को दिनांक **31 मार्च, 2023** तक बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, जिसके न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख के उपरांत परंतु दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना में निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं और जिन मामलों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक

अनुमोदन से पूर्व ऋण संवितरित कर दिया गया था, भी इस स्कीम के अधीन ब्याज छूट के लिए पात्र होंगे। **"इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष और छः महीने के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"**

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E) dated 19.07.2018 which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262(E), S.O. 1523(E), S.O. 3886(E), S.O. 2026(E) and No. 1(10)/2018-SP-I dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020, 29.10.2020, 25.05.2021 and 05.04.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.07.2018, Central Government has decided that Para 5(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank by **31st March, 2023**, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. The applicants who have submitted their applications to DFPD after the date of notification of the scheme but within the cut-off date prescribed in the notification dated 19.07.2018 and in case of whom, loans were disbursed to them prior to the in-principle approval of DFPD, will also be eligible for interest subvention under the scheme. **Further, the project should be completed within two and a half years from the date of disbursement of first installment of loan from bank.**"

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और चीनी मिलों के साथ जुड़ी डिस्टिलरियों को दी जाने वाली सहायता के समान ही शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1228 (अ) के जरिये "इथेनोल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम" नामक एक स्कीम अधिसूचित की थी जिसे बाद में क्रमशः दिनांक 25.05.2021 और 05.04.2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 2025(अ) और सं. 1(10)/2018-एसपी-I के माध्यम से संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 08.03.2019 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना के पैरा 6 (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"आवेदक को **31 मार्च, 2023** तक बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 1228 (E) dated 08.03.2019 which was subsequently amended vide notification No. S.O. 2025(E) and No. 1(10)/2018-SP-I, dated 25.05.2021 and 05.04.2022 respectively.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 08.03.2019, Central Government has decided that Para 6(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank by **31st March, 2023,** failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और चीनी मिलों के साथ जुड़ी डिस्टिलरियों को दी जाने वाली सहायता के समान ही शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 1228(अ) के जरिये निम्नलिखित स्कीम "इथेनोल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम" अधिसूचित की थी। तत्पश्चात, "इथेनोल उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार हेतु शीरा आधारित स्टैंडएलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नयी स्कीम" को दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3135(अ) और बाद में अधिसूचना सं.1(10)/2018-एसपी-I दिनांक 05.04.2022 के तहत अधिसूचित किया गया था।

2. अब दिनांक 15.09.2020 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना के पैरा 6 (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"आवेदक को **31 मार्च, 2023** तक बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 1(10)/2018-SP-I.—Whereas the Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and to extend financial assistance to molasses based standalone distilleries on lines similar to that extended to distilleries attached with sugar mills, notified the following scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity"- vide notification No.S.O.1228(E), dated 08.03.2019. Thereafter, "New Scheme for extending financial assistance to molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" was notified on 15.09.2020 vide Notification No. S.O. 3135(E), and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 15.09.2020, Central Government has decided that Para 6(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank by **31st March, 2023** failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति करने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम अर्थात- "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की है जिसे तत्पश्चात दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 की अधिसूचना सं. क्रमश: का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ. 4104 (अ) और का.आ. 1523 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 08.03.2019 को "इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम" नामक एक नयी स्कीम अधिसूचित की गयी थी और इसके अलावा दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3136 (अ) के तहत एक नयी स्कीम "इथेनोल उत्पादन क्षमता-2020, को बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम" अधिसूचित की गयी थी जिसे बाद में अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I दिनांक 05.04.2022 के तहत अधिसूचित किया गया था।

2. अब दिनांक 15.09.2020 की उक्त अधिसूचना का पैरा 10 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना के पैरा 6 (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"आवेदक को 31 मार्च, 2023 तक बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952 (E), No. S.O. 5219 (E), No. S.O.47 (E), No. S.O. 4104 (E) and No. S.O. 1523 (E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 and 20.05.2020 respectively. Thereafter a new scheme namely "New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" was notified on 08.03.2019 and further a new scheme namely- "New Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity-2020" was notified on 15.09.2020 vide Notification No. S.O. 3136(E) and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022.

2. Now in pursuance of para 10 of the said notification dated 15.09.2020, Central Government has decided that Para 6(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank by **31st March, 2023,** failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

सं. 1(10)/2018-एसपी-I.—केंद्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन, विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में, इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की थी, जिसमें तत्पश्चात दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 की अधिसूचना सं. क्रमशः का.आ. 3952 (अ), का.आ. 5219 (अ), का.आ. 47 (अ), का.आ.4104 (अ) और का.आ.1523 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था। इसके बाद "इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम" दिनांक 08.03.2019 को अधिसूचना सं. का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचना सं. का.आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के द्वारा 30 दिनों के लिए एक छोटी विंडो खोली गई थी, जिसमें शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टीलरियों और चीनी मिलों से इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तत्पश्चात, दिनांक 14.01.2021 को अधिसूचना सं. का.आ. 148 (अ) के माध्यम से संशोधित स्कीम नामतः "परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता की वृद्धि करने या फीड स्टॉक जैसे अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोरघम), गन्ने, चकुंदर आदि से फर्स्ट जेनेरेशन (1जी) के उत्पादन हेतु डिस्टिलरियां स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीम" अधिसूचित की गई थी जिसे बाद में अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I दिनांक 05.04.2022 के तहत अधिसूचित किया गया था।

2. दिनांक 14.01.2021 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में अब केंद्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि दिनांक 14.01.2021 की अधिसूचना के पैरा 5 (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"आवेदक को बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/किसी अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से **31 मार्च, 2023** तक ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के लिए पात्र हैं, से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

No. 1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), No. S.O. 5219(E), No. S.O.47 (E), No. S.O. 4104(E) and No. S.O. 1523(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 and 20.05.2020 respectively. Thereafter schemes for extending financial assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further vide notifications

No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills. Thereafter, a modified scheme namely "Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." was notified on 14.01.2021 vide Notification No. S.O. 148 (E) and was subsequently amended vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 05.04.2022.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 14.01.2021, Central Government has decided that Para 5(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank/NCDC/IREDA/ NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, **by 31st March, 2023,** failing which the in-principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of 1st installment of loan from bank/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.06 22:59:50 +05'30'